

कायालय : मुख्य नवाचन आधिकारा, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

election09@gmail.com फोन नं 0 (0135) - 2713551 फैक्स नं 0 (0135) - 2713724

संख्या: २५ / XXV- 53(P-14) / 2021 देहरादून : दिनांक ०१ जनवरी, 2024
सेवा में,

सचिव,

मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।

विषय:- अपील संख्या-38824 / 2023 अपीलार्थी श्री समीर सरदारा बनाम लोक सूचना अधिकारी विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड में प्राप्त नोटिस के अनुपालन में प्रत्युत्तर का प्रेषण।

महोदय,


उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या-38824 / 2023 अपीलार्थी श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून में निर्गत नोटिस दिनांक 06.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित प्रकरण में मा० आयोग द्वारा उक्त अपील पर सुनवाई की तारीख 08.01.2024 समय 11:15 बजे नियत की गयी है। मा० आयोग द्वारा अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना-पत्र पर बिन्दुवार लिखित उत्तर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में लिखित प्रतियुत्तर निम्नवत प्रेषित की जा रही है:-

<p>अ: अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार लिखित उत्तर-</p>	<p>1-लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-565 / XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 की प्रति संलग्न है जिसके द्वारा सूचना का अनुरोध पत्र कार्यालय अन्य विभाग/कार्यालयों से सम्बन्धित होने के कारण अन्तरित की गयी है (छायाप्रति संलग्न) 2-इस कार्यालय में धारित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या-573 दिनांक दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क मु०-244 की सूचना सामग्री तैयार किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अनुरोधकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को प्रथम अपील, विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संख्या-903 दिनांक 17 जून, 2023 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा के पत्र संख्या-945 दिनांक 23 जून 2023 द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गयी है। शेष बिन्दुओं की सूचना विभागीय वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर उपलब्ध होने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत कराया गया है।</p>
<p>ब: पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो तथा</p>	<p>पत्रावली संख्या- XXV-53 (P14) / 2021 में व्यवहृत है।</p>
<p>स: लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका</p>	<p>अनुरोध के पंजीकरण हेतु पंजिका के पृष्ठ संख्या-57 क्रमांक-211 (फोटो प्रति संलग्न) पंजिका निर्धारित तिथि को मा० आयोग के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।</p>
<p>द: लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गए सूचना की प्रतियाँ</p>	<p>लो०स०अधिकारी के पत्र संख्या-573 / XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग की गयी, आवेदक द्वारा शुल्क उपलब्ध नहीं करायी गयी।</p>
<p>ध: विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति</p>	<p>आदेश संख्या-903 दिनांक 17 जून, 2023 की प्रति संलग्न प्रेषित है।</p>
<p>न: नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "क" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य</p>	<p>मा० आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-क, के अनुसार सूचना तैयार कर, समस्त सूचनाओं की प्रति सादर सेवा में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।</p>

मा० आयोग के समक्ष मैं लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड स्वयं उपस्थित हूँ।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,


(बी०एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड देहरादून।

1	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक	दिनांक-03.04.2023
2	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का क्रमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है	पंजिका के पृष्ठ संख्या-57, क्रमांक-211
3	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या	26 बिन्दु
4	यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब— 1.अंतरिक्तकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता 2. अंतरित बिन्दु 3. पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है	—
5	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तब— 1. संबंधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है 2. जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया का नाम, पदनाम, व पूर्ण पता 3. जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया 4. पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा पत्र डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक	हॉ 1.—केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली । 2.समस्त लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड। 3—लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून कार्यालय पत्र संख्या- 565 /XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 द्वारा हस्तान्तरित स्पीड पोस्ट एवं ईमेल दिनांक 13 अप्रैल 2023
6	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब— 1.अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई 2. कुल मांगी गयी धनराशि 3. अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया 4. अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि 5. अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण	हां पत्र संख्या-573 XXV-53 दिनांक 13 अप्रैल 2023 244.00(दो सौ चावालिस रुपये) स्पीड पोस्ट — शुल्क उपलब्ध नहीं करवाया गया है।
7	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब— 1. तृतीय पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक 2. तृतीय पक्ष का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि 3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबंधी पत्रांक व दिनांक का विवरण	नहीं
8	आवेदक को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया गया है,	पत्र संख्या-945- दिनांक 23.06.2023
9	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण	आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया, जिस कारण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।
10	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	—

Shukt

विभागीय लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर.....
 नाम—श्री बसन्त सिंह रावत,
 पदनाम—लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी.
 पता—कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
 उत्तराखण्ड देहरादून।
 दूरभाष/फैक्स न0 /मो0न0— 0135—2713552
 ई—मेल आई0डी0....election09@gmail.com

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून— 248001

election09@gmail.com फोन नं 0 (0135) — 2713551 फैक्स नं 0 (0135) — 2713724

संख्या: 70/XXV- 53(P-14)/2021

देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2024

सेवा में,

सचिव,

मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन,

लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।

विषय:- शिकायतकर्ता श्री समीर सरदाना के शिकायत संख्या 15525 के क्रम में प्रत्युत्तर का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री समीर सरदाना, निवासी— डी-113, सेक्टर-04, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून के उत्तराखण्ड सूचना आयोग में की गयी शिकायत संख्या-15525 जो आयोग के पत्र संख्या- 8574 दिनांक 06 नवम्बर, 2023 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मा० आयोग द्वारा उक्त शिकायत पर सुनवाई की तारीख 08.01.2024 समय 11:15 बजे नियत की गयी है। मा० आयोग उक्त नोटिस द्वारा सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

अ: शिकायतकर्ता के मूल प्रार्थना पत्र पर बिंदुवार लिखित उत्तर-	1—लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-565 / XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 की प्रति संलग्न है जिसके द्वारा सूचना का अनुरोध पत्र कार्यालय अन्य विभाग/कार्यालयों से सम्बन्धित होने के कारण अन्तरित की गयी है (छायाप्रति संलग्न) 2—इस कार्यालय में धारित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या-573 दिनांक दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क मु0-244 की सूचना सामग्री तैयार किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अनुरोधकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया है।
ब: पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो तथा	शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायतकर्ता प्रार्थना—पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को प्रथम अपील, विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संख्या-903 दिनांक 17 जून, 2023 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा के पत्र संख्या-945 दिनांक 23 जून 2023 द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गयी है। शेष बिन्दुओं की सूचना विभागीय वेबसाइट ceo. uk.gov.in पर उपलब्ध होने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत कराया गया है।
स: लोक सूचना अधिकारी के लिए निर्धारित पंजिका	पत्रावली संख्या- XXV-53 (P14)/2021 में व्यवहृत है।
द: लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराये गए सूचना की प्रतियों	अनुरोध के पंजीकरण हेतु पंजिका के पृष्ठ संख्या-57 क्रमांक-211 (फोटो प्रति संलग्न) पंजिका निर्धारित तिथि को मा० आयोग के अवलोकनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।
ध: विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति	लो०सू०अधिकारी के पत्र संख्या-573 / XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग की गयी, आवेदक द्वारा शुल्क उपलब्ध नहीं करायी गयी।
न: नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप “क” पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य	आदेश संख्या-903 दिनांक 17 जून, 2023 की प्रति संलग्न प्रेषित है।
	मा० आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप—क, के अनुसार सूचना तैयार कर, समस्त सूचनाओं की प्रति सादर सेवा में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

Bijay Singh

(बी०एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी,

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड देहरादून।

पंजीकृत डाक



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2662021, 2662180 ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: <http://uic.uk.gov.in>

पत्रांक : 10411 /उ.सू.आ./ 2023–24

दिनांक : 11.01.24

सेवा में,

1. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल देहरादून, जिला देहरादून।

महोदय / महोदया,

शिकायत संख्या-15525 : श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल देहरादून, जिला देहरादून व अन्य में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 08/01/2024 के आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बोधित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि

भवदीया,

(स्मृता परमार)

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि : श्री समीर सरदाना, निवासी डी-113, सेक्टर-04, डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून।

संलग्न : यथोपरि

भवदीया,

(स्मृता परमार)

उप सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

आवश्यक सूचना:-

"समस्त लोक प्राधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले पत्र में अपना नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अवश्य अंकित करें, बिना नाम, पदनाम, हस्ताक्षर के आयोग को सम्बोधित पत्रों को आयोग द्वारा निरस्त किया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी का स्वयं होगा। "

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून, उत्तराखण्ड

शिकायत संख्या : 15525

शिकायत अंतर्गत धारा 18(1)एफ सूका अधि. अधिनियम, 2005

समक्ष : श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

शिकायतकर्ता : श्री समीर सरदाना, निवासी डी-113, सेक्टर-04,
डिफेन्स कॉलोनी, देहरादून।

बनाम

प्रत्युत्तरदाता : 1. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय मुख्य
निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय
परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल देहरादून,
जिला देहरादून।

आदेश

शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र दिनांकित 05/10/2023
जो आयोग कार्यालय में दिनांक 06/10/2023 को प्राप्त एवं
पंजीकृत हुई है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर से वांछित सूचनायें
प्राप्त न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष यह शिकायत
प्रस्तुत की गयी है।

2. शिकायतकर्ता द्वारा अपने अदिनांकित अनुरोध पत्र के माध्यम से
लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विश्वकर्मा भवन,
प्रथम तल, सचिवालय परिसर, देहरादून से 11 विषय वस्तुओं से
संबंधित बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गयीं।
3. लोक सूचना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन
अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के
माध्यम से शिकायतकर्ता के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 1, 2
(आंशिक) व 3 एवं 4 का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा
6(3) अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग लाडपुर,
समस्त लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी

.....



उत्तराखण्ड व केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को किया गया।

4. लोक सूचना अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता से अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क की मांग की गयी। साथ ही शिकायतकर्ता के ई-मेल दिनांक 13/04/2023 के क्रम में शिकायतकर्ता को अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2023 (त्रुटिपूर्ण अंकन 2022) के माध्यम से अवगत कराया गया कि स्वतः स्फूर्त प्रकटन हेतु सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय की वेबसाईट <https://ceo.uk.gov.in> एवं eci.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5. प्रस्तुत शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा सूचनायें उपलब्ध न कराये जाने का उल्लेख करते हुए वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने की आयोग से प्रार्थना की गयी है।
6. आज सुनवाई के समय शिकायतकर्ता उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी श्री बसंत सिंह रावत उपस्थित हैं। विभागीय अपीलीय अधिकारी / सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की ओर से लिखित आख्या दिनांकित 05 जनवरी, 2024 प्राप्त हुई जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया।
7. उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
8. आज सुनवाई के दौरान पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी शिकायत पंचायत चुनाव से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 11/04/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता का अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन मसूरी बाईपास लाडपुर रिंग रोड, देहरादून को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) अंतर्गत

4v.

NCB



अंतरित किया गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग से अद्यतन वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

9. प्रस्तुत शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, देहरादून, जिला देहरादून को पक्षकार बनाया गया है जबकि उनके द्वारा शिकायतकर्ता के अनुरोध पत्र का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत दिनांक 11/04/2023 को लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन मसूरी बाईपास लाडपुर रिंग रोड, देहरादून को अंतरण किया जा चुका है। अतः शिकायतकर्ता को स्पष्ट किया जाता है कि यदि उन्हें पंचायत चुनाव के संबंध में सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं तो उन्हें चाहिए कि वे राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत कर वांछित सूचनायें प्राप्त करें। यदि प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी उन्हें वांछित सूचनायें प्राप्त नहीं होती हैं तो वे आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
10. उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत शिकायत का निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली संचित की जाये।

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

anil
(अनिल चन्द्र पुनेठा)
मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक : 08/01/2024



कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001
फैक्स नं (0135) - 2713724
फोन नं (0135) - 2713551

संख्या: 26 / XXV- 53(P-14) / 2021

फैक्स नं (0135) - 2713724
देहरादून : दिनांक 02 जनवरी, 2024

सेवा में,

सचिव,

मा० उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

विषय:- अपील संख्या-38824 / 2023 अपीलार्थी श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड में प्राप्त नोटिस के अनुपालन में प्रत्युत्तर का प्रेषण।

महोदय,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अपील संख्या-38824 / 2023 अपीलार्थी श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी/ विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून में निर्गत नोटिस दिनांक 06.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित प्रकरण में मा० आयोग द्वारा उक्त अपील पर सुनवाई की तारीख 08.01.2024 समय 11:15 बजे नियत की गयी है। मा० आयोग द्वारा अपीलकर्ता/प्रार्थी के मूल प्रार्थना-पत्र पर बिन्दुवार लिखित उत्तर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में लिखित प्रतियुत्तर निम्नवत प्रेषित की जा रही है:-

अ: अपील पर बिन्दुवार लिखित उत्तर

1- लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-565 / XXV-53 दिनांक 11 अप्रैल 2023 की प्रति संलग्न है जिसके द्वारा सूचना का अनुरोध पत्र कार्यालय अन्य विभाग/ कार्यालयों से सम्बन्धित होने के कारण अन्तरित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)

2- इस कार्यालय में धारित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या-573 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के द्वारा अतिरिक्त शुल्क ₹0 244.00 की सूचना सामग्री तैयार किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु अनुरोधकर्ता द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष गूँगल मीट ऑनलाईन के माध्यम से उपस्थित हुए। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संख्या-903 दिनांक 17 जून, 2023 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-945 दिनांक 23 जून 2023 द्वारा सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गयी है। शेष बिन्दुओं की सूचना विभागीय वेबसाईट ceo. uk. gov.in पर उपलब्ध होने के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत कराया गया है।

ब: पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहृत किया गया हो तथा

पत्रावली संख्या- XXV-53 (P-14) / 2021 में व्यवहृत है।

स: निर्धारित विभागीय अपील पंजिका

अपील पंजिका के पृष्ठ संख्या-08 के क्रमांक 22 में दर्ज है

न: नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप "ख" पर सुस्पष्ट सूचना मय साक्ष्य

संलग्न प्रारूप-ख

मा० आयोग के नोटिस में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में यह भी अवगत कराना है कि अनुरोधकर्ता की प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत अपील के क्रम में आदेश संख्या-903 दिनांक 17 जून, 2023 द्वारा निस्तारण किया गया, तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-945 दिनांक 23 जून 2023 द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध करायी गयी।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पोशणीय न होने के कारण निरस्त करने योग्य है। मा० आयोग से सादर अनुरोध है कि अपीलकर्ता की अपील

भवदीय
(मस्तू दास)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखण्ड।

:: प्रारूप—ख ::

1.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक	दिनांक—23 अप्रैल, 2023
2.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि	दिनांक—10 मई, 2023(आनलाइन गूगल मीट के माध्यम से)
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किये जाने का पत्रांक व दिनांक	नोटिस संख्या—662 दिनांक 04 मई 2023
4.	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम	इमेल
5.	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक तथा अपीलीय और लोक सूचना अधिकारी को आदेश प्रेषित करने की दिनांक	आदेश संख्या—903 / XXV—(53—14) 2021 दिनांक 17 जून 2023
6.	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण	समय अन्दर निस्तारण किया गया है
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तो संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं	एक ही अपीलीय अधिकारी

विभागीय अपीलीय अधिकारी के हस्ताक्षर.....
 नाम— श्री मस्तू दास
 पदनाम—प्रथम अपीलीय अधिकारी/
 सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 उत्तराखण्ड देहरादून।
 दूरभाष/फैक्स न0/मो0न0— 0135—2713551
 ई—मेलआई0डी0— election09@gmail.com